भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1585
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

बच्चों के लिए समेकित योजनाएं

1585. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वासवा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निराश्रित बच्चों के लिए बनाई गई समेकित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयं सहायता संगठनों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के तहत स्वयं सहायता संगठनों के कार्यों/उपलब्धियों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड क्या हैं; और
(ड.) उक्त योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : मंत्रालय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण पैटर्न पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नाम की एक केंद्र प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। स्कीम के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान(सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु के अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख और परामर्श तक पहुंच का समर्थन करते हैं। मिशन वात्सल्य स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 05.07.2022 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी किए गए थे।

इसके अलावा, मिशन वात्सल्य स्कीम की मुख्य विशेषताओं में (क) अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देना, (ख) बाल अधिकारों पर जोर देना, किशोर न्याय देखरेख और सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने सहित 'कोई भी बच्चा न छूट जाए' के उद्देश्य के साथ' सुरक्षा प्रणाली के साथ पक्ष समर्थन और जागरूकता (ग) सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर बाल अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के अधिकार शामिल हैं।

इस स्कीम देश में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारों के नेटवर्क के माध्यम से एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना है। यह स्कीम शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थान/ग्राम पंचायत की मौजूदा स्थायी/उप-समिति प्रणाली के माध्यम से बाल कल्याण और सुरक्षा प्रदान करती है जो महिलाओं और बच्चों के सामाजिक न्याय/कल्याण के मुद्दों की देखरेख करती है।

स्कीम के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जागरूकता पैदा करने, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित निधि जारी की जाती है। यह स्कीम विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने, अनुसंधान और प्रलेखन, आईईसी के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और आईईसी सामग्री के मुद्रण और प्रसार सहित मीडिया अभियान के लिए प्रशिक्षण निधि भी प्रदान करती है।

(घ) और (ङ) : मंत्रालय राज्य और संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य स्कीम को क्रियान्वित करता है और नियमित रूप से उनका अनुसरण करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार देखरेख के मानकों का पालन करें। सभी सीसीआई के अनिवार्य निरीक्षण के संबंध में सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को कई एडवाजरी भेजे गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बाल अधिकारों सहित स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित); यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2019 में यथा संशोधित) और उसके तहत बने नियमों, बहु-हितधारकों के लिए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इसके अलावा, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार, जेजे अधिनियम, 2015 के निष्पादन की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की होती है।

*****